Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./3227/2003/उदयपुर

1.श्रीमती थावरी बाई पत्नी श्री भंवर लाल ब्रहमण निवासी मचीन्द तहसील नाथद्वारा

2. श्री दुर्गाशंकर पुत्र श्री उदयलाल ब्राहमण निवासी गोदाणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. मूर्ति श्री चारभुजा जी वाके झाडोल मार्फत सर्वराकार त्रिलोक कुमार पुत्र शान्ति लाल जी शुक्ला निवासी झाडोल एवं प्रेमशंकर पिता श्री बाबू लाल दवे रोडवाल निवासी झाडोल जिला उदयपुर
2. उदयलाल पुत्र श्री अम्बा लाल ब्राहमण निवासी गोदाणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
3. श्री मोहन लाल पुत्र श्री उदयलाल ब्राहमण निवासी गोदाणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
4. मुरली बाई पत्नी श्री भीमशंकर पालीवाल निवासी चिकलवास तहसील नाथद्वारा
5. जगदीश उर्फ मुन्ना पुत्र श्री उदयलाल ब्रहमण
6. लक्ष्मीलाल उर्फ नका पुत्र श्री उदयलाल ब्राहमण
7. किशन लाल पुत्र श्री उदयलाल ब्राहमण निवासीगण गोदाणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री यज्ञदत शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री पूर्णाशंकर दशौरा अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11-6-03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल के समक्ष प्रत्यर्थी वादी मूर्ति श्री चारभुजा जी की ओर से वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद बाबत बेदखली अपीलार्थी प्रतिवादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत करते हुये अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी की खडम की भूमि है। वादी मन्दिर होने से लगान माफी में पुराने समय से चला आ रहा था जिसमें पैमाइश सम्बत 2011 से पूर्व फसल का हिस्सा देते थे। सरकारी कागजों में यह जमीनर वादी की खडम कभी दर्ज नहीं हुई। सन् 1980 में हुई पैमाइश में वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया और प्रतिवादी को उप कृषक दर्ज कर दिया प्रतिवादी अपने नाम उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराने का दावेदार है। इसलिये उसे वाद पत्र में अंकित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावा जबाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर अनुतोष सहित कुल छ तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 31-1-2001के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र दोनों को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी की ओर से भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की और अपीलार्थी प्रतिवादी ने भी काउण्टर अपील पेश की। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11-6-03 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-1-2001 को निरस्त कर वादी मूर्ति मन्दिर का वाद डिक्री कर दिया एवं अपीलार्थी प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी मूर्ति श्री चारभुजा जी ने अधिनियम की धारा 180 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था एवं उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी मूर्ति श्री चारभुजा जी के उपकृषक हैं लेकिन उन्होंने उप कृषक की शर्तो की पालना नहीं की एवं काश्त की उपज का आधा हिस्सा प्रत्यर्थी को अदा नहीं किया। इस कारण वे अधिनियम की धारा 180 के तहत बेदखल करना चाहते हैं लेकिन अपीलीय न्यायालय ने स्वीकृत तथ्यों के विपरीत जाकर अधिनियम की धारा 183 के तहत प्रार्थना पत्र को पलट कर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने की डिक्री पारित करने में विधिक भूल की है। क्योंकि अपीलार्थी ने कभी भी प्रत्यर्थी मूर्ति की भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं किया है। इस कारण से अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि अधिनियम की धारा 183 का दावा डिक्री करने के लिये या तो प्रत्यर्थी वादी द्वारा आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के तहत वाद में संशोधन करने के बाद ही तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज होता जिसका जबाब का मौका अपीलार्थी को मिलता एवं उसी के अनुसार तनकीयात बनाई जाती एवं दोनों पक्षों की शहादत लेकर प्रकरण का निर्णय हो सकता था। बिना दावे में तरमीम कराये धारा 180 के वाद को धारा 183 के तहत किसी भी कानून से दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि जब प्रत्यर्थी वादी के कथनानुसार अपीलार्थी को उसका उप कृषक माना है तो अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि राजस्व अभिलेख जो अपीलार्थी की तरफ से सम्बत 2011 की सेटिलमेन्ट की जमाबन्दी पेश हुई है उसमें अपीलार्थी को आसामी बता रखा है। इस प्रकार अपीलार्थी उपकृषक न होकर उक्त भूमि के काश्तकार थे एवं वादी मूर्ति सिर्फ हासिल वसूल करने का अधिकार रखते थे यानि उनको सिर्फ माफी का हक था एवं खडम का अधिकार अपीलार्थी का था। इसलिये माफी रिज्यूम्शन के तहत धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलार्थी जो कि काश्तकार थे उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2000 आर आर डी पेज 14 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। ऐसा ही निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 आर आर डी पेज 535

में पारित किया है। इस प्रकार से प्रत्यर्थी वादी की माफी रिज्यूम्शन होने पर लगान का हक राज्य सरकार में निहित हो गया एवं अपीलार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये। इस प्रकार से प्रत्यर्थी वादी का कोई हक उक्त भूमि पर माफी रिज्यूम्शन के पश्चात नहीं रहता है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अंकित 1995 आर आर डी पेज 418 प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों के आधार पर लागू नहीं होता है। एवं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिया है कि यदि विवादित भूमि मूर्ति चारभुजा जी की खुदकाश्त की नहीं है तो माफी रिज्यूम्शन के पश्चात मूर्ति का विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहता है एवं जो काश्तकार उस पर काश्त कर रहा है उसको खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं। अपीलार्थी ने सम्बत 2011 से 2017 तक की जमाबन्दी पेश कर रखी हैं जिनमें अपीलार्थी को काश्तकार आसामी बता रखा है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी सन् 1980 के पूर्व लगातार उक्त भूमि के आसामी की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में काश्तकार दर्ज थे जिसे नये सेटिलमेन्ट में बदलकर प्रत्यर्थी वादी को खातेदार एवं अपीलार्थी को उपकृषक दर्ज कर दिया जो उन्हें किसी भी कानून से बदलने का अधिकार नहीं था। पूर्व में हुये निर्णय की पालना वादी द्वारा नहीं की गई है इसलिये वादी को दावा लाने का अधिकार नहीं है। उनका तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 1991आर आर डी पेज 6 का भी अवलोकन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की भूमि है जो राजस्व रेकार्ड की नकलों से बखूबी साबित है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलार्थी को वर्ष दर वर्ष काश्त करने हेतु दी गई थी और उसके द्वारा इसकी बटाई दी जाती थी परन्तु वर्ष 1980 में उन्होंने बटाई देना बन्द कर दिया इसलिये प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 180 के तहत प्रस्तुत किया गया था। नियमानुसार यदि अधिनियम की धारा 180 के प्रार्थना पत्र को अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो स्वतः ही इस प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 183 के तहत तब्दील कर वाद के रूप में कार्यवाही की जानी चाहिये थी। उनका तर्क है कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2047-48 में विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में

दर्ज है। अपीलार्थी सम्बत 2011 की जमाबन्दी में केवल आसामी दर्ज है। अर्थात मूर्ति की ओर से काश्त करने वाले व्यक्ति ही दर्ज थे। प्रथम सेटिलमेन्ट के पूर्व मूर्ति मन्दिर द्वारा लगान अदा की जाती थी। मूर्ति मन्दिर के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45(4) व 46(1) में मूर्ति के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान दिया हुआ है। माननीय राजस्व मण्डल की बृहद पीठ ने अपने निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मूर्ति मन्दिर की भूमि पर यदि पुजारी, सेवक, मैनेजर या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती है तो ऐसी काश्त मूर्ति मन्दिर की ही काश्त मानी जावेगी। वादग्रस्त भूमि मूर्ति मन्दिर की है तथा अपीलार्थी द्वारा काश्त की जाती रही है। जहां तक राजस्व रेकार्ड में आसामी अंकित होने का प्रश्न है आसामी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलार्थी राजस्व रेकार्ड में आसामी दर्ज न है न कि खडमदार। खडमदार को ही विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत है। अपील खारिज योग्य है।

8. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

9. विचारण न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि मूर्ति मन्दिर की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य पी डब्लू–1 प्रेमशंकर, पी डब्लू–2 होम जी के बयान करवाये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2045–48, समस्त रोडवाल ब्राहमण झाडोल द्वारा जारी मुख्तार पत्र की नकल आदि प्रस्तुत की गई हैं। अपीलार्थी प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी डब्लू–1 प्रेमशंकर, पी डब्लू–2 होमजी तथा पी डब्लू–3 हंसमुख लाल के बयान कराये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में भू प्रबन्ध की जमाबन्दी सम्बत 2011, नकल ताम्रपत्र व अन्य रसीदें प्रस्तुत की गई हैं। जहां तक विधिक स्थिति का प्रश्न है मण्डल की बृहद पीठ द्वारा आर आर डी 1995 पेज 418 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग होने के कारण उनके स्वयं के द्वारा काश्त नहीं की जा सकती है और मूर्ति की भूमि पर जिस व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती है उस व्यक्ति के पक्ष में सबटीनेन्सी कभी उत्पन्न नहीं होती है। हालाकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी वादी की ओर से वाद अधिनियम की धारा 180 के तहत

प्रस्तुत किया गया था परन्तु जब वादी को अनुतोष अधिनियम की धारा 183 कें अन्दर दिया जा सकता है तो चाहे धारा का उल्लेख नहीं किया गया हो लेकिन चाहा गया अनुतोष दिया जा सकता है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 11 में यह कथन किया है कि ''प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी पक्ष के विरूद्ध उक्त कृषि भूमि से बेदखल कराया जाकर उक्त भूमि का आधिपत्य प्रार्थी को सुपुर्द कराया जावे। अगर विपक्षी बेदखली के विरूद्ध कन्टेस्ट करना चाहे तो इस प्रार्थना पत्र को दावा शुमार किया जाकर कार्यवाही कराई जावे एवं उक्त आराजी के कब्जेयाबी की डिक्री अलावा खर्चा मुकदमा दिलाई जावे एवं दौराने कार्यवाही तारीख प्रार्थना पत्र से तारीख बेदखली तक पैदा होने वाले उपज की विधिक हिस्सा या राशि जो भी न्यायोचित हो, विपक्षी पक्ष से प्रार्थी को प्रदान कराई जावे तथा धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा अथवा अन्य तरीके से अन्य कोई प्रतिकार विधिक रूप से प्रार्थी पाने का अधिकारी हो, विपक्षी पक्ष से प्रार्थी को प्रदान कराई जावे।'' धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी भी वाद अथवा कार्यवाही में न्यायालय वादी के आवेदन पत्र पर , आवश्यक वाद पत्र बनाने के पश्चात, इस बात के होते हुये भी कि उक्त सहायता वाद पत्र या प्रार्थना पत्र में नहीं मांगी गई है, कोई भी ऐसी सहायता दे सकता है जिसे देने के लिये वह सक्षम हो तथा जिसे प्राप्त करने का वादी को वह हकदार ठहराये।उक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये केवल तकनीकी आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है इसलिये विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की यह दलील मान्य नहीं है कि अधिनियम की धारा 180 के तहत धारा 183 के अनुसार लाभ नहीं दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष यह वाद दिनांक 4-10-91 को दायर किया गया है और दावा दायरी के दिन प्रत्यर्थी वादी द्वारा नकल जमाबन्दी सम्बत 2045-48 के अनुसार मूर्ति मन्दिर चारभुजा ही खातेदार दर्ज हैं। विधि अनुसार एक खातेदार को अपनी भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने का अधिकार होता है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि सम्बत 2011 की जमाबन्दी में अपीलार्थी खातेदार खडमदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में मन्दिर को केवल लगान लेने का ही अधिकार था और उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की नहीं मानी जा सकती है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं काश्त करने में सक्षम नहीं है। मूर्ति मन्दिर के मामले में मूर्ति

की तरफ से जिस व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती है वह काश्त खातेदार की तरफ से की गई काश्त मानी जावेगी।

10. अब इस प्रकरण में सबसे मुख्य निर्णायक बिन्दु यह है कि क्या जमाबन्दी सम्बत 2011 में अंकित इन्द्राज के अनुसार अपीलार्थी खातेदार खडमदार है? जैसा कि वह कथन करके आये हैं। इस सन्दर्भ में सम्बत 2011 की जमाबन्दी का अवलोकन किया तो हम पाते हैं कि उक्त जमाबन्दी में मालिक के कालम में मूर्ति मन्दिर का नाम अंकित है जबकि आसामी के कालम में अपीलार्थी अम्बा लाल वल्द फतेलाल ब्राहमण साकिन देह का नाम अंकित है तथा पुजारी के कालम में समस्त ब्राहमणान रोडवाल झाडोल पुजारी दर्ज है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आसामी शब्द को खडमदार या खातेदार माना जावेगा? इस सन्दर्भ में अपीलार्थी की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं उनमें किसी में भी आसामी को खडमदार अथवा खातेदार मानने के सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं है। आसामी का तात्पर्य यह है कि मन्दिर की ओर से जिस व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती है उसे आसामी कहा जाता है। आर आर डी 2000 पेज 5760 में यह व्यवस्था दी गई है कि जागीर पुर्नग्रहण के दिन जागीर अधिनियम की धारा 9 के तहत जो व्यक्ति खडमदार दर्ज है वह खातेदार हो जाता है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी राजस्व रेकार्ड में कभी खडमदार दर्ज नहीं रहा है बल्कि सम्बत 2011 की जमाबन्दी में आसामी दर्ज है। यह सही है कि काश्त अपीलार्थी की दर्ज है लेकिन यह भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 15 के साथ धारा 5(25),45(4) और 46(1) के प्रावधान भी लागू हो गये थे और धारा 45 व 45 के अनुसार मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आती है। जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है मूर्ति की ओर से जिस भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती है वह काश्त मन्दिर की ओर से की गई काश्त मानी जावेगी और ऐसी भूमि में कभी भी कृषक या उप कृषक के अधिकार काश्त करने वाले के हित में सृजित नहीं होते हैं।

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने आर आर डी 1993 पेज 226 व 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि चूँकि मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि पर काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सम्बत 2011 की जमाबन्दी में मूर्ति मन्दिर बतौर मालिक दर्ज है और

अपीलार्थी बतौर आसामी दर्ज है। इसलिये मूर्ति मन्दिर के मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा15 व जागीर अधिनियम की धारा 9 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य को मध्य नजर रखते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी वादी मूर्ति मन्दिर के वाद को डिक्री करने में और अपीलार्थी प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो से पूर्णतया सहमत हैं।

12. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य